विश्वविद्यालय/कालेजों के प्राध्यापकों हेतु यू0जी0सी0 द्वारा संस्तुत छुट्टी नियम

1. स्थायी प्राध्यापकों को देय छुट्टी

(i) छुट्टी जिसे ड्येटी की तरह माना जाये जैसे :
आकस्मिक छुट्टी :
विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा
ड्यूटी छुट्टी :

(ii) ड्यूटी पर अर्जित छुट्टी, जैसे :
अर्जित छट्टी :
अर्द्धवेतन छुट्टी तथा :
परिवर्तित छुट्टी :

(iii) ड्यूटी पर अर्जित न की गई छुट्टी, जैसे :
असाधारण छुट्टी तथा :
अदेय छुट्टी :

(iv) छुट्टी खाते से डेविट न की जाने वाली छुट्टी :
(क) शिक्षा प्राप्ति छुट्टी जैसे अध्ययन छुट्टी तथा :
विश्राम छुट्टी/शैक्षणिक छुट्टी

(ख) स्वास्थ्य आधारित छुट्टी जैसे प्रसूति छुट्टी :

1. संगरोध छुट्टी

अपवादिक मामलों में अन्य प्रकार की छुट्टी उन कारणों से जिनका उल्लेख किया जाए कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा सकती है जिन्हे लागू करना ठीक समझा जाए।

2. आकस्मिक छुट्टी

(i) एक शैक्षणिक वर्ष में एक प्राध्यापक को स्वीकृत कुल आकस्मिक छुट्टियों की संख्या 8 दिन से अधिक नहीं होगी।

(ii) आकस्मिक छुट्टी विशेष आसस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं ली जा सकती। इन्हें रविवार सहित अन्य अवकाशों के साथ लिया जा सकता है। आकस्मिक छुट्टियों के मध्य पड़ने वाले अवकाशों अथवा रविवारों को आकस्मिक छुट्टी के रूप में नहीं मिना जायेगा।

3. विशेष आकस्मिक छुट्टी

(i) एक शैक्षणिक वर्ष में एक प्राध्यापक को अधिकतम 10 दिन की आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत की जा सकती हैं।

(क) एक विश्वविद्यालय/लोक सेवा आयोग परीक्षा बोर्ड अथवा अन्य ऐसी ही संस्था/स्थानों की परीक्षा आयोजित करने हेतु तथा

(ख) सार्वधिक बार्ड से संबंध शैक्षिक संस्थानों के निरीक्षण हेतु आदि।

नोट :

(i) 10 दिन की देय छुट्टियों की गणना करते समय उपर्यक्त विनिदिष्ट क्रियाकलापों के आयोजन स्थल पर जाने व लौटने हेतु वास्तविक यात्रा के दिनों यदि कोई हों तो शामिल नहीं किया जायेगा।

(ii) इसके अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टी की अधिकतम सीमा निम्नानुसार स्वीकृत की जा सकती है :

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वंध्यीकरण आपरेषन (वेसेक्टोमी अथवा सेल्पिंगेक्टोमी) कराने हेतु/ इस मामले में छुट्टियों की संख्या 6 कार्य दिवसों तक सीमित रहेगी।
(ख) एक महिला प्राध्यापक को गैर–प्रासविक वंध्यीकरण हेतु। इस मामले में छुट्टियों की संख्या 14 दिन तक सीमित रहेगी।

(iii) विशेष आकस्मिक छुट्टी न तो संचित की जा सकती है और न हीं आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ ली जा सकती है। इन्हें अवकाश अथवा वेकेशन अवकाशों के साथ स्वीकृत किया जा सकता है।

ड्यूटी छुट्टी

(i) ड्यूटी छुट्टी निम्न कारणों से ली जा सकती है :–

(क) विश्वविद्यालय की ओर से अथवा विश्वविद्यालय की अनुमति से सम्मेलनों, बैठकों, गोष्ठियों एवं संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु।
(ख) संस्थाओं, विश्वविद्यालयों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त तथा उप–कुलपति द्वारा स्वीकृत आमंत्रण पर ऐसी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में भाषण देने हेतु।
(ग) अन्य भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालय, किसी अन्य एजेन्सी, संस्था अथवा संगठन में कार्य करते हुए यदि ऐसी प्रतिनयुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गई हो।
(घ) भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबद्ध विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैद्वाणिक निकाय द्वारा नियुक्त समिति में कार्य करने अथवा डिलीगेशन में भाग लेने हेतु तथा
(ङ) विश्वविद्यालय के किसी अन्य कार्य के निष्पादन हेतु।

(ii) प्रत्येक अवसर पर छुट्टी की अवधि इस प्रकार होगी जैसा कि स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय।

(iii) यह छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकृत की जायेगी, बशर्ते कि यदि प्राध्यापक सामान्य खर्चों हेतु आवश्यक राशि से अधिक शिक्षावृत्ति अथवा मानदेय अथवा कोई अन्य वित्ततीय सहायता प्राप्त करता है, तो उसे घटाए हुए वेतन एवं भत्तों पर ड्यूटी स्वीकृत की जायेगी।

(iv) ड्यूटी छुट्टी अर्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी अथ्वा असाधारण छुट्टी के साथ ली जा सकती है।

5. अर्जित छुट्टी

(i) एक प्राध्यापक को देय अर्जित छुट्टी इस प्रकार हैः–
(क) वेकेशन अवकाशों सहित वास्तविक सेवा अवधि का 30वां हिस्सा अर्थात (1/30)

(ख) ऐसी अवधि, जिसमें उसे वेकेशन अवकाश के दौरान ड्यूटी करना अपेक्षित हो यदि काई हो तो, का एक तिहाई हिस्सा अर्थात (1/3)

नोट–

वास्तविक सेवा अवधि की गणना करने के उद्देश्य से आकस्मिक विशेष आकस्मिक एवं ड्यूटी छुट्टियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की छुट्टियों की अवधि को शामिल नहीं किया जायेगा।

(ii) एक प्राध्यापक के खाते में 300 से अधिक दिन की अर्जित छुट्टियां संचित नहीं हो सकती। एक बाद में अधिकतम 60 दिन की अर्जित छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। फिर भी उच्चतम अध्ययन अथवा प्रशिक्षण अथवा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर आधारित छुट्टी अथवा यदि पूरी छुट्टी अथवा उसका कोई भाग भारत के बाहर बिताया हो तो ऐसे मामले में 60 दिन से अधिक अर्जित छुट्टी भी स्वीकृत की जा सकती है।

नोट–1

यदि एक प्राध्यापक वेकेशन अवकाश के साथ अर्जित छुट्टी लेता है तो औसत वेतन छुट्टी है तो औसत वेतन छुट्टी की अधिकतम मात्रा की गणना करते समय वेकेशन की अवधि को छुट्टी की तरह गिना जायेगा, जिसे छुट्टी की अमुक अवधि में भी शामिल किया जायेगा।

नोट–2 यदि छुट्टियों का सिर्फ एक हिस्सा भारत के बाहर बिताया गया हो तो 120 से अधिक दिन की छुट्टी इस शर्त के अधीन स्वीकृत होंगी कि भारत में बितायी गई छुट्टियों की कुल अवधि 120 दिन से अधिक न हो।

नोट–3 अध्ययन स्टाफ के गैर–वेकेशन सदस्यों को अर्जित छुट्टी का नगदीकरण केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार देय होगा।

6. अर्द्ध वेतन छुट्टी

वेतन स्थायी प्राध्यापक को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 20 दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी देय है। ऐसी छुट्टी निजी मामलों अथवा शैक्षणिक उद्देश्यों से एक पंजीकृत चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है।

नोट

सेवा के पूर्ण वर्ष से तात्पर्य विश्वविद्यालय के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की सतत सेवा से है तथा ड्यूटी से अनुपस्थिति एवं असाधारण छुट्टियों सहित छुट्टियों की अवधि भी इसमें शामिल होगी।

7. परिवर्तित छुट्टी

एक स्थायी प्राध्यापक को पंजीकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत परिवर्तित छुट्टियां देय अर्द्ध वेतन छुट्टियों की मात्रा के आधे से अधिक नहीं होगी :–

(i) पूरी सेवा के दौरान परिवर्तित छुट्टियों की अधिकतम संख्या 240 दिन होगी।

(ii) जब परिवर्तित छुट्टी स्वीकृत की जाये तो देय अर्द्ध वेतन छुट्टी को दोगुनी मात्रा घटा दी जायेगी।

(iii) एक बार में संयुक्त रूप से ली गई अर्जित छुट्टी एवं परिवर्तित छुट्टियों का कुल अवधि 240 दिन से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि इन नियमों के अन्तर्गत कोई परिवर्तित छुट्टी स्वीकृत नहीं की जायेगी, जब तक कि छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास न हो जाये कि प्राध्यापक इसकी समाप्ति पर ड्यूटी पर लौट आयेगा/आयेगी।

8. असाधारण छुट्टी

(i) एक स्थायी प्राध्यापक को असाधारण छुट्टी तभी स्वीकृत की जा सकती है जबकि :–
   (क) कोई अन्य छुट्टी देय न हो अथवा
   (ख) कोई अन्य छुट्टी देय न हो तथा प्राध्यापक असाधारण छुट्टी स्वीकृति हेतु लिखित में आवेदन करें।

(ii) असाधारण छुट्टी हमेशा बिना वेतन एवं भत्तों के होगी। असाधारण छुट्टी को निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त वेतन वृद्धि हेतु नहीं गिना जायेगा।
   (क) चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ली गई छुट्टी।
   (ख) ऐसे मामले जिनमें उपकुलपति/प्रिंसिपल संतुष्ट हो जाये कि यह छुट्टी प्राध्यापक के नियंत्रण से परे, नागरिक उपद्रव अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण कार्य ग्रहण करने में असमर्थता जैसे कारणों से ली गई हो बशर्ते कि प्राध्यापक के खाते में किसी अन्य प्रकार की छुट्टी शेष न हो।
   (ग) उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ली गई छुट्टी।
   (घ) अध्यापन पद अथवा शिक्षावृत्ति अथवा शोध–सह अध्यापन पद अथवा महत्वपूर्ण तकनीकी अथवा शैक्षणिक कार्य पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने हेतु स्वीकृत छुट्टी।

(iii) असाधारण छुट्टी आकस्मिक छुट्टी एवं विशेष आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी भी छुट्टी के साथ ली जा सकती है बशर्ते कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ली गई छुट्टी के मामलों के अतिरिक्त छुट्टी पर ड्यूटी से सतत अनुपस्थिति की अवधि यदि छुट्टी वेकेशन अवकाश के साथ ली गयी हो तो वेकेशन अवधि को शामिल करते हुए तीन साल से अधिक नहीं होगी। ड्यूटी से अनुपस्थिति की कुल अवधि कर्मचारी के पूरे सेवा काल में किसी भी हालत में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iv) प्राधिकारी को बिना छुट्टी अनुपस्थिति की पूर्ववर्ती अवधि को असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है।

9. अदेय छुट्टी

(i) एक स्थायी प्राध्यापक को उप कुलपति/प्रिंसीपल के विवेक से पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 360 दिन की अदेय छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, जिसमें से एक बार में अधिकतम 90 दिन तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कारणों से कुल 180 दिन की छुट्टी ली जा सकती है। ऐसी छुट्टी उसके द्वारा बाद में अर्जित अर्द्ध वेतन छुट्टियों में से घटा दी जायेगी।

(ii) अदेय छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती जब तक कि उप कुलपति/प्रिंसीपल पहले से ही उपयुक्त विचार करके आश्वस्त न हो जाए कि प्राध्यापक छुट्टी समाप्ति के बाद ड्यूटी पर लेट आएगा/आएगी तथा स्वीकृत छुट्टी अर्जित कर लेगा/लेगी।

(iii) एक प्राध्यापक, जिसे अदेय छुट्टी स्वीकृत की गई है, सेवा से तब तक त्याग पत्र नहीं दे सकता/सकती, जब तक कि सक्रिय सेवा द्वारा उसके छुट्टी में डेबिट की गई छुट्टियां अर्जित न कर ली जाएं अथवा उसके द्वारा अर्जित न की गई छुट्टियों की अवधि हेतु भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों की राशि वापस न कर दें। ऐसे मामले में जहां स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण सेवानिवृत्ति अपरिहार्य हो तथा प्राध्यापक आगे सेवा करने में असमर्थ हो तो अर्जित की जाने वाली छुट्टी की अवधि हेतु छुट्टी वेतन की वापसी से कार्यकारी परिषद छूट दे सकती है। बशर्ते कि किसी अन्य मामले में, कार्यकारी परिषद अर्जित की जाने वाली छुट्टी की अवधि के छुट्टी वेतन की वापसी से उल्लिखित कारणों से छूट दी जा सकती है।

10. अध्ययन छुट्टी

(i) अध्ययन छुट्टी कम से कम तीन साल की सतत सेवा पूरी करने पर विश्वविद्यालय में उसके कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अध्ययन अथवा शोध की विशेष लाइन अथवा विश्वविद्यालय संगठन के विभिन्न क्षेत्रों एवं शिक्षा के तरीकों का विशेष अध्ययन करने हेतु स्वीकृत की जा सकती है। अध्ययन छुट्टी की भुगतान अवधि 3 वर्ष होगी, परन्तु पहली बार में दो साल होगी, अनुसंधान मार्गदर्शक (गाइड) की रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त प्रगति होने पर एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी विभाग में अध्ययन छुट्टी पर जाने वाले प्राध्यापकों की संख्या प्राध्यापकों के निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो बशर्ते कि किसी मामले की विशेष परिस्थिति में कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट तीन वर्श की सेवा की निरंतरता की शर्त से छूट दे सकती है।

स्पष्टीकरण – सेवा अवधि की गणना करते समय एक व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि अथवा अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य की अवधि का भी गिना जाएगा बशर्ते कि :–
(क) आवेदन की तारीख को वह व्यक्ति एक प्राध्यापक हो तथा
(ख) सेवा में कोई ब्रेक न हो।

(ii) अध्ययन छुट्टी संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कार्यकारी परिषद/ सिंडीकेट द्वारा स्वीकृत की जाएगी एक बार में तीन साल से अधिक छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती। बहुत अपवादिक मामले को छोड़कर जिनमें कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट आश्वस्त हो जाए कि शैक्षणिक आधार पर ऐसा विस्तार अपरिहार्य तथा विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक है।

(iii) अध्ययन छुट्टी ऐसे प्राध्यापक को स्वीकृत नहीं की जाएगी, जो अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के बाद उसके ड्यूटी पर लौटने की प्रत्याशित तारीख से 5 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्ति होने वाला/वाली हो।

(iv) अध्ययन छुट्टी पूरे सेवा काल के दौरान दो बार से अधिक स्वीकृत नहीं की जा सकती है। फिर भी पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 5 वर्ष की अध्ययन छुट्टी देय होगी।

(v) अध्ययन छुट्टी की स्वीकृत के बाद कोई प्राध्यापक कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट की अनुमति के बिना अध्ययन के क्षेत्र अथवा शोध कार्यक्रम में वास्तविक परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि अध्ययन कोर्स की अवधि स्वीकृत अध्ययन छुट्टी से कम हो जाती है तो अध्यापक को अध्ययन कोर्स के समापन पर कार्यग्रहण करना पड़ेगा एवं कार्यकारी परिषद/सिंडिकेट के पूर्व अनुमोदन को कम पड़ने वाली अवधि को साधारण छुट्टी स्वीकृति की तरह माना जाएगा।

(vi) (क) निम्न उप अनुच्छेद vii व viii के प्रावधानों के अधीन दो साल की अध्ययन छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकृत की जस सकती है जिन्हें विश्वविद्यालय के विवके से एक साल और बढ़ाया जा सकता है।

(vii) एक प्राध्यापक जिसे अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की गई है को दी गई छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति अथवा अय वित्तीय सहायता की राषि को जिन वेतन एवं भत्तों पर छुट्टी स्वीकृत की जा रही है। में शामिल किया जाएगा। परन्तु वेतन एवं भत्ते, जिन पर अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है के निर्धारण हेतु इस प्रकार प्राप्त छात्रवृत्ति आदि को शामिल किया जाएगा। विदेशी छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति वेतन की क्षतिपूरक होगी यदि शिक्षावृत्ति एक निपिर्दिष्ट राशि जिस उस देश में जहां अध्ययन किया जाना है एक परिवार के जीवन यापन की लागत के आधार पर समय–समय पर निर्धारित किया जाए से अधिक न हो। भारतीय शिक्षावृत्ति के मामले में यदि वह प्राध्यापक के वेतन से अधिक हो तो वेतन को जब्त कर लिया जाएगा।

(viii) छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होने के अधीन अध्ययन छुट्टी अर्जित, अर्द्ध वेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी तथा वेकेशन अवकाश के साथ ली जा सकती है, यह भी कि प्राध्यापक के खाते में अर्जित छुट्टी प्राध्यापक के विवेक से ली जा सकेगी।

अध्ययन छुट्टी के दौरान यदि एक अध्यापक का उच्च पद पर चयन हो जाता है तो उसे उसी अवस्था में रखा जाएगा तथा उच्च पद का वेतनपमान उस पद पर कार्यग्रहण करने के बाद ही प्राप्त कर सकेगी।

(ix) एक प्राध्यापक, जिसे अध्ययन छुट्टी स्वीकृत की गई है, विश्वविद्यालय की सेवा में उसके लौटने तथा फिर से कार्य ग्रहण करने पर इस अवधि में अर्जित की गई वेतन वृद्धियों का लाभ प्राप्त कर सकेगा/सकेगी, जिन्हें वह अध्ययन छुट्टी पर न जाने पर अर्जित करता/कारती। फिर भी, कोई प्राध्यापक ऐसी वेतन वृद्धियों का एरीयर प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(x) अध्ययन छुट्टी को पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि हेतु सेवा की तरह माना जाएगा, बशर्ते कि प्राध्यापक अपनी अध्ययन छुट्टी की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण कर लें।

(xi) एक प्राध्यापक को स्वीकृत अध्ययन छुट्टी यदि इसकी स्वीकृति के 12 माह के अंदर न ली जाए, तो उन्हें निरस्त समझा जाएगा। बशर्ते कि यदि स्वीकृत अध्ययन छुट्टी इस तरह निरस्त कर दी गई हो तो प्राध्यापक ऐसी छुट्टी हेतु फिर से आवेदन करें।

(xii) अध्ययन छुट्टी लेने वाले प्राध्यापक को यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि वह कम से कम 3 वर्ष, जिसकी गणना अध्ययन छुट्टी की समाप्ति पर उसके कार्यग्रहण करने की तारीख से की जाएगी, की सतत सेवा विश्वविद्यालय को देगा।

(xiii) यह छुट्टी स्वीकृत होने के बाद प्राध्यापक को छुट्टी पर जाने से पहले उप–अनुच्छेद (xiii) व (xiv) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने हेतु स्वयं को वंछित करते हुए विश्वविद्यालय के पक्ष में एक बांड भरना होगा तथा वित्त अधिकारी/कोषाध्यक्ष की संतुष्टि हेतु अंचल संपत्ति की प्रतिभू अथवा किसी बीमा कंपनी का निष्ठा बांड अथवा अनुसूचित बैंक की गारंटी अथवा उप अनुच्छेद (xiv) के अनुसार विश्वविद्यालय को वापस की जाने वाली राशि हेतु दो स्थायी प्राध्यापकों की जमानत देनी होगी।

(xiv) प्राध्यापक अपने अध्ययन की छमाही प्रगति रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक अथवा संस्था प्रधान से प्राप्त कर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा यह रिपोर्ट अध्ययन छुट्टी के प्रत्येक छमांही की समाप्ती के माह के अंदर रजिस्ट्रार के पास पहंच जानी चाहिए। यदि रिपोर्ट विनिर्दिष्ट समय तक रजिस्ट्रार के पास नहीं पहुंचती है, तो छुट्टी वेतन का भुगतान ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने तक टाला जा सकता है।

11. विश्राम छुट्टी/ शैक्षणिक छुट्टी

(i) विश्वविद्यालय के स्थायी, पूर्णकालिक प्राध्यापक, जिन्होंने लेक्चरर चयन ग्रेड/रीडर अथवा प्रोफेसर के रूप में सात साल की सेवा पूरी कर ली हो, को सिर्फ अपनी दक्षता तथा विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा प्रणाली की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से अध्ययन अथवा शोध अथवा अन्य शैक्षणिक उद्देश्य से पढ़ाई करने हेतु विश्राम छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।

(ii) एक बार में ली गई छुट्टियों की अवधि एवं वर्ष तथा एक प्राध्यापक के पूरे सेवाकाल 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iii) एक प्राध्यापक जिसने अध्ययन छुट्टी ले ली है, वह विश्राम छुट्टी का हकदार नहीं होगा/होगी। और यह भी कि विश्राम छुट्टी तभी स्वीकृत होगी जब कि पहले ली गई अध्ययन छुट्टी अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राध्यापक के लौटने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाए।

(iv) विश्राम छुट्टी की अवधि के दौरान एक प्राध्यापक को विश्राम छुट्टी पर जाने से ठीक पहले उसे देय दरों पर पूर्ण वेतन एवं भत्तों भुगतान (निर्धारित शर्त पूरी करने पर) किया जायेगा।

(v) विश्राम छुट्टी लेने पर एक प्राध्यापक उस छुट्टी अवधि के दौरान भारत अथवा विदेश में अन्य संगठन के अधीन कोई नियमित नियुक्ति प्राप्त नहीं करेगा/करगी। फिर भी उसे एक उच्च अध्ययन संस्था में नियमित नौकरी से इतर शिक्षावृत्ति अथवा शोध छात्रवृत्ति अथवा मानदेय पर तदर्थ अध्यापन एवं शोध कार्य अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने की अनुमति होगी। बशर्ते कि ऐसे मामलों में कार्यकारी परिषद/सिंडीकेट यदि चाहे तो घटे हुए वेतन एवं भत्तों पर विश्राम छुट्टी स्वीकृत कर सकती है।

(vi) विश्राम छुट्टी की अवधि के दौरान प्राध्यापक को नियत तारीख पर वेतन वृद्धि मिलती रहेगी। छुट्टी की अवधि पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि के उद्देश्यों से सेवा की तरह मानी जाएगी। बशर्ते कि प्राध्यापक अपनी छुट्टी की समाप्ति पर विश्वविद्यालय में फिर से कार्यग्रहण कर लें।

नोट–1

विश्राम छुट्टी के दौरान निष्पादित लिए जाने वाले कार्यक्रम छुट्टी स्वीकृति के आवेदन के साथ अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

नोट–2 छुट्टी से लौटने पर प्राध्यापक को छुट्टी की अवधि के दौरान किए गए अध्ययन की प्राकृति शोध एवं अन्य कार्यों की रिपोर्ट विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

12. प्रसूत छुट्टी / मातृत्व छुट्टी

एक महिला प्राध्यापक को अधिकतम 135 दिन की मातृत्व छुट्टी पूर्ण वेतन पर स्वीकार की जा सकती है, पूरे सेवाकाल में दो बार ली जा सकती है। मातृत्व छुट्टी गर्भपात सहित अपरिपक्व प्रसव के मामले में भी इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा सकती है कि पूरे सेवा काल में एक महिला प्रध्यापक को इस संबंध में स्वीकृत कुल छुट्टियां 45 दिन से अधिक न हो तथा छुट्टी हेतु आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न हो।

मातृत्व छुट्टी, अर्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ ली जा सकती है परन्तु यदि आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न हो, तो मातृत्व छुट्टी के साथ आवेदित अन्य छुट्टी भी स्वीकृत की जा सकती है।

पितृत्व छुट्टी

पुरूष प्राध्यापकों को उनकी पत्नियों के घर की चार दीवारी में रहने के दौरान 15 दिन पितृत्व छुट्टी स्वीकार की जा सकती है बशर्ते कि इसे दो बच्चों तक सीमित रखा जाए।

एडॉप्शन छुट्टी

एडॉप्शन छुट्टी केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार दी जा सकती है।

ड्यूटी छुट्टी

ड्यूटी छुट्टी यू0जी0सी0, डी0एस0टी0 आदि की बैठकों में भाग लेने हेतु भी दी जा सकती है। जहां एक प्राध्यापक को शैक्षणिक निकायों, सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों के विशेषज्ञों के साथ सहभगिता हेतु आमंत्रित किया गया हो।